प्रबंधन में उपयोगी कृषि यंत्र जिन पर अनुदान दिया जा रहा है उनमें बुवाई के लिए हैप्पी सीडर एवं जिरो टिलेज मशीन, फसल अवशेष को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर खेत में बिछाने के लिए रोटरी मल्चर, फसल अवशेष को इकट्ठा करने के लिए स्ट्रा रीपर एवं स्ट्राबेलर तथा फसल काटने एवं बंडल बनाने के लिए रीपर-कम-बाइन्डर यंत्र शामिल हैं, जिनसे फसल अवशेष (पुआल) को मशीनों की सहायता से इकट्ठा कर उसका उपयोग पशुचारा आदि में किया जाता है या खेत में ही मिला दिया जाता है। कृषि विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो फसल अवशेष नहीं जलायेंगे। इसके अतिरिक्त फसल अवशेष के उपयोग की योजना एवं इस पर सरकारी सहायता पर कार्य किया जा रहा है।

- जैविक कृषि के अन्तर्गत 75,000 एकड़ भूमि के अच्छादन के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक लक्ष्य से अधिक कुल 1,12,081 एकड़ भूमि का आच्छादन किया गया है।
- टपकन सिंचाई के अन्तर्गत 65,753 एकड़ भूमि के अच्छादन के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक कुल 26,615 एकड़ भूमि का आच्छादन किया गया है।

अवयव 10: सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत

हर घर बिजली निश्चय के तहत सभी जगह बिजली पहुँचा दी गई है, परन्तु ऊर्जा के ये स्रोत सीमित हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब सौर ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, इसके लिए सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया गया है। निजी भवनों में सौर ऊर्जा के लिए लोगों को प्रेरित किया जायेगा। कजरा (लखीसराय) एवं पीरपैंती (भागलपुर) में थर्मल पॉवर प्लांट के स्थान पर सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसका क्रियान्वयन **ऊर्जा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों** द्वारा कराया जा रहा है।

- अभी तक कुल 128 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट स्थापित है, जबकि 250 मेगावाट के सोलर पावर प्लांटों का कार्य चल रहा है। इनके अतिरिक्त 457 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
- अब तक चिह्नित 7,257 भवनों में से कुल 2,462 भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गयी है।

अवयव 11: जल-जीवन-हरियाली जागरुकता अभियान

इन सारी गतिविधियों की सफलता तब तक सुनिश्चित नहीं हो पाएगी जब तक कि लोगों की सहभागिता इसमें नहीं होगी। इस अभियान के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ समाज के बीच विशेष उद्देश्य से कार्य करने वाले जीविका समूह, विकास मित्र, शिक्षा सेवक (टोला सेवक एवं तालिमी मरकज स्वयं सेवक) आदि को भी जल-जीवन-हरियाली अभियान के बारे में जन-जागरुकता फैलाने में लगाया जा रहा है। दीवाल- लेखन, होर्डिंग्स, नुक्कड़ नाटक, ऑडियो-विडियो प्रचार वाहन, जागरुकता रैलियों इत्यादि के माध्यम से जन-जन तक यह संदेश पहुँचाया जा रहा है कि **'जल-जीवन-हरियाली, तभी होगी खुशहाली'**।

- जल- जीवन -हरियाली अभियान अंतर्गत जागरुकता के प्रसार की कड़ी में प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में 'जल-जीवन-हरियाली दिवस' मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रस्तावित विषय वस्तु पर गोष्ठी, कार्यशाला, परिचर्चा एवं अन्य जागरुकता संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

संस्थागत व्यवस्था (Institutional Arrangement)

जल-जीवन-हरियाली अभियान को मिशन मोड में लागू करने के लिए जल-जीवन-हरियाली मिशन का गठन किया गया है जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासी निकाय तथा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। जल-जीवन हरियाली अभियान के अनुश्रवण एवं परामर्श की संस्थागत व्यवस्था की गई है। जल-जीवन-हरियाली अभियान का बिहार विकास मिशन के शासी निकाय द्वारा अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन किया जाना है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के संचालन में परामर्श हेतु राज्य स्तर पर संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य परामर्शदातृ समिति का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा मनोनीत बिहार विधान सभा के 15 सदस्य एवं सभापति, बिहार विधान परिषद् के द्वारा मनोनीत बिहार विधान परिषद् के 05 सदस्य, विकास आयुक्त तथा जल-जीवन- हरियाली अभियान से संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव इसके सदस्य हैं। इसी तरह से जिला स्तर पर भी जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदातृ समिति का गठन किया गया है, जिसमें कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य एवं जिला स्तर के सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को इसका सदस्य बनाया गया है। जिला पदाधिकारी को इसका संयोजक बनाया गया है।

जल-जीवन-हरियाली अभियान के बढ़ते कदम

चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को मिला तृतीय पुरस्कार

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिनांक 17.06.2023 को आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य को यह प्रतिष्ठित सम्मान जल संरक्षण तथा प्रबंधन के क्षेत्र में जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत किए जा रहे वृहत प्रयासों के फलस्वरुप प्राप्त हुआ है।

ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में जल-जीवन-हरियाली अभियान पोर्टल को मिला 'अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस'

दिनांक 25.03.2023 को नई दिल्ली में आयोजित 20वें सी0एस0आई0एस0आई0जी0 (Computer Society of India Special Interest Group) ई-गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में जल-जीवन- हरियाली अभियान के वेब पोर्टल को परियोजना श्रेणी अंतर्गत प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस से सम्मानित किया गया। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया (सी0एस0आई0) द्वारा प्रत्येक वर्ष ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली परियोजनाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की रिपोर्ट में जल-जीवन-हरियाली अभियान की सराहना

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'डायनैमिक ग्राउंड वॉटर रिसोंसेज असेसमेंट ऑफ इंडिया, 2022' में बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल-जीवन-हरियाली अभियान की सराहना की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि-

- वर्ष 2020 की तुलना में बिहार का वार्षिक भू-जल रिचार्ज 28.05 बी0सी0एम0 से बढ़कर 33.14 बी0सी0एम0 हो गया है।
- वर्ष 2020 की तुलना में बिहार का वार्षिक निष्कर्षण योग्य भू-जल स्रोत 25.46 बी0सी0एम0 से बढ़कर 30.04 बी0सी0एम0 हो गया है।

वैश्विक मंचों पर सराहना

- वर्ष 2019 में अपनी बिहार यात्रा के क्रम में बिल एवं मिलिण्डा गेट्स फाउन्डेशन के सह अध्यक्ष तथा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक श्री बिल गेट्स भी जल-जीवन- हरियाली अभियान से बहुत प्रभावित हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा उठाया जाएगा। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है, जिसपर सिएटल, वांशिगटन, लंदन या पेरिस में विचार होता है परन्तु पटना में भी उनसे कहा जा रहा था कि यह सबसे बड़ा मुद्दा है और इससे निबटने के लिए पानी आपूर्ति, बीज जैसी समस्याओं में उन्हें मदद चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित जलवायु ग्लोबल सम्मेलन, 2020

- वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र के उच्चस्तरीय जलवायु ग्लोबल सम्मेलन में श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा जल-जीवन-हरियाली अभियान के लाभों पर चर्चा करते हुए यह साझा किया कि जलवायु परिवर्तन गतिविधियों के लिए 3.5 बिलियन का एक बड़ा फंड आवंटित किया गया था। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन पर चिन्ता व्यक्त करते हुए लोगों के द्वारा 19 जनवरी, 2020 को 18 हजार किलोमीटर लम्बी मानव श्रृंखला बनायी गयी थी। माननीय मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि **"पृथ्वी से हमें जो कुछ मिलता है वह हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है"**।
- संयुक्त अरब अमीरात में नवम्बर-दिसम्बर, 2023 में आयोजित **COP 28 (Conference of Parties)** में जल-जीवन-हरियाली के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की काफी प्रशंसा हुई।

जल-जीवन-हरियाली अभियान

मौसम अनुकूल कृषि - कम पानी में अधिक फसल

चेकडैम

जैविक कृषि

वृक्षारोपण

ऊपर बिजली, नीचे मछली

ड्रिप / स्प्रिंकलर सिंचाई

कंटूर बांडिंग

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।

Nov. 2024

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

बिहार सरकार

जल-जीवन-हरियाली अभियान

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

जल-जीवन-हरियाली

'अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन है'

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण में ही सुखी और स्वस्थ्य जीवन की कल्पना संभव है। विकास की असंतुलित अवधारणाओं एवं प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण असंतुलन का संकट मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती बन गयी है। विगत वर्षों में जलवायु परिवर्तन एक बड़े खतरे के रूप में उभरा है। विकास की रफ्तार बढ़ाने के क्रम में पर्यावरण से बहुत छेड़छाड़ हुई है, जिससे पर्यावरण का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। भारी मात्रा में वैश्विक स्तर पर वातावरण में ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे ग्रीन हाऊस गैसों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसका असर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखने लगा है।

मौसम की अनियमितता एक सामान्य घटना बनती जा रही है। मॉनसून पैटर्न बदल रहा है।कम और अनियमित वर्षापात, वर्षा में लंबा अंतराल तथा अचानक भारी वर्षा जैसी स्थिति देखने को मिल रही हैं। अनियमित वर्षापात, बाढ़, सूखा, पारम्परिक जल संचयन के स्त्रोतों में चिंताजनक कमी जैसी भयानक प्राकृतिक आपदाओं का दुष्प्रभाव बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य पर भी पड़ा है। बिहार को एक साथ बाढ़ और सुखाड़ के हालात का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से इसकी पुनरावृत्ति (Frequency) तथा मात्रा (Quantum) में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन के दिनों-दिन बढ़ते नकारात्मक प्रभाव चिंता का विषय है।

- 13 जुलाई, 2019 को बिहार विधान मंडल के सेन्ट्रल हॉल में 'राज्य में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाजनक स्थिति पर विमर्श' का कार्यक्रम रखा गया। इसमें विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने अनुभव बताये तथा पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करने की बात कही।विमर्शोपरान्त राज्य में जल-जीवन-हरियाली अभियान शुरू करने की घोषणा की गई।
- 9, अगस्त, 2019 को **बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल-जीवन-हरियाली अभियान के जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।** उक्त अवसर पर पटना स्थित बापू सभागार में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं इसके प्रसारण को 20 लाख से अधिक जीविका दीदियों समेत करोड़ों लोगो ने देखा ।
- 09 अगस्त, 2019 से प्रारम्भ जागरूकता कार्यकम विभिन्न स्तरों पर संचालित किया गया। 15 एवं 27 अगस्त के दिन जीविका दीदियों द्वारा वृहत पैमाने पर पौधारोपण किया गया। राज्य के लाखों लोगों ने जल-जीवन-हरियाली अभियान में सहभागी होकर पर्यावरण के प्रति अपनी जवाबदेही का परिचय भी दिया।
- अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जल-जीवन-हरियाली मिशन की स्थापना को राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 25, सितंबर, 2019 को आयोजित बैठक में स्वीकृति दी गई।
- राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 150वीं जयन्ती के मौके पर 02 अक्टूबर, 2019 को ज्ञान भवन, पटना में जल-जीवन-हरियाली अभियान का शुभारम्भ किया गया।
- 26 अक्टूबर 2019 को ज्ञान भवन, सम्राट अशोक कॉन्वेंशन सेंटर, पटना से जल-जीवन-हरियाली के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया है, जिसमें 1,359 करोड़ की 32,781 योजनाओं का शिलान्यास तथा 291 करोड़ की 2,391 योजनाओं का उद्घाटन शामिल रहा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण/लाईव वेबकास्ट तथा टी0वी0 टेलीकास्ट कर एक साथ राज्य के सभी जिलों, प्रखंडों, पंचायतो तथा नगर निकायों में 8,646 जगहों पर आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी जन प्रतिनिधि तथा विभिन्न कार्यालयों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी, विकास मित्र, शिक्षा सेवक आदि जुड़े रहे।
- जलवायु परिवर्तन के खतरों से बिहारवासियों को आगाह करने एवं जल-जीवन- हरियाली के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 3 दिसंबर, 2019 से 10 जनवरी, 2020 के बीच राज्य के सभी जिलों में जल-जीवन-हरियाली यात्रा की गई।
- 19 जनवरी, 2020 को लगभग 18 हजार किलोमीटर लम्बी मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 5.16 करोड़ लोगों ने भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट किया।
- जल-जीवन-हरियाली अभियान को वर्ष 2024-25 तक विस्तारित किया गया तथा वर्ष 2024-25 तक इसके लिए कुल 12,568.97 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया है।

जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयव

अवयव-1: सार्वजनिक पोखर, तालाबों, आहर पईनों को चिह्नित कर अतिक्रमण मुक्त करना

पारंपरिक जल संरचनाओं के अतिक्रमित रहने से इन संरचनाओं की क्षमता कम हो जाती है। प्रायः पोखरों के भिण्डे के अतिरिक्त आहर, पईन के भी अंश का अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिसे अतिक्रमणमुक्त करने से जल क्षेत्र में बढ़ोत्तरी तो होती है और इनके जल संचयन क्षमता में भी वृद्धि होती है। इस अवयव के अंतर्गत सभी सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिह्नित कर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के पूर्व ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाता है जिनके पास वास हेतु अपनी कोई अन्य जमीन नहीं है। ऐसे विस्थापित होने वाले सुयोग्य वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय करने हेतु मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर प्रति लाभुक 60 हजार रुपये की सहायता राशि भी उपलब्ध करायी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

- अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु चिह्नित 19,135 योजनाओं में से 18,607 में कार्य पूर्ण तथा शेष 528 में कार्य प्रक्रियाधीन है।
- अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु चिह्नित 11,355 सार्वजनिक कुँओं में से 11,205 में कार्य पूर्ण तथा शेष 150 में कार्य प्रक्रियाधीन है।

अवयव-2: सार्वजनिक पोखर, तालाबों, आहर-पईनों का जीर्णोद्धार

सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं के जीर्णोद्धार से भी इनके जल संचयन क्षमता का विकास होगा। इस अवयव के अंतर्गत चिह्नित एवं अतिक्रमण मुक्त सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके तहत इन संरचनाओं की उड़ाही, इनलेट-आउटलेट का निर्माण, इनके किनारे वृक्षारोपण एवं पाथ-वे का निर्माण तथा आवश्यकतानुसार सीढ़ी घाटों का निर्माण इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं।

जीर्णोद्धार कराए गए सार्वजनिक तालाबों के समुचित रख-रखाव एवं प्रबंधन के उद्देश्य से जिलों में इन्हें जीविका के स्वयं सहायता समूहों को हस्तांतरित किया गया है। हस्तांतरित पोखरों में से अधिकांश 5 एकड़ से कम के हैं। इससे न केवल इन तालाबों का सतत् रख-रखाव सुनिश्चित हो पा रहा है, बल्कि मत्स्यपालन एवं बत्तख पालन के माध्यम से जीविका दीदियों के लिए आजीविका का वैकल्पिक स्रोत भी उपलब्ध हो पाया है। इसका क्रियान्वयन **ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग एवं पंचायती राज विभाग** द्वारा कराया जा रहा है।

- सार्वजनिक तालाबों के जीर्णोद्धार के तहत चिह्नित 27,126 योजनाओं में से अबतक 20,424 योजनाओं में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 19,998 में कार्य पूर्ण तथा शेष 426 में कार्य प्रक्रियाधीन है। जीविका दीदियों को 498 पोखरों का हस्तांतरण किया जा चुका है।
- सार्वजनिक आहरों/पईनों के जीर्णोद्धार के तहत चिह्नित 67,041 योजनाओं में से अबतक 62,040 योजनाओं में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 61,638 में कार्य पूर्ण तथा शेष 402 में कार्य प्रक्रियाधीन है।

अवयव 3: सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार

वर्षों से समाज के द्वारा कुँओं का इस्तेमाल पेयजल के साथ-साथ सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए किया जाता रहा है। सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार किए जाने से स्वच्छता तो बढ़ेगी ही, उनका अधिक उपयोग किया जा सकेगा। वैसे सार्वजनिक कुएं, जिन्हें अतिक्रमित कर लिया गया है अथवा जिनका उपयोग विभिन्न कारणों से बंद है, उन्हें चिह्नित कर अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

इसका क्रियान्वयन **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पंचायती राज विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग** द्वारा कराया जा रहा है।

- सार्वजनिक कुँओं के जीर्णोद्धार के तहत चिह्नित 46,812 योजनाओं में से अबतक 37,667 योजनाओं में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 34,284 में कार्य पूर्ण तथा शेष 3,383 में कार्य प्रक्रियाधीन है।

अवयव 4: सार्वजनिक कुँओं/चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण

यह महसूस किया गया है कि कुँओं एवं चापाकलों के किनारे यदि सोख्ता का निर्माण किया जाता है, तो यह भूगर्भ जल स्तर बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। इस अवयव के अंतर्गत जल स्त्रोतों यथा-कुँओं एवं चापाकलों के पास अवशेष जल के प्रबंधन के लिए सोख्तों का निर्माण कराया जा रहा है जिससे उपयोग के बाद बचे जल से भू-जल स्तर रिचार्ज हो सके। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

- सार्वजनिक कुँओं के किनारे सोख्ता निर्माण के तहत चिह्नित 42,956 योजनाओं में से अबतक 28,442 योजनाओं में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 25,735 में कार्य पूर्ण तथा शेष 2,707 में कार्य प्रक्रियाधीन है।
- सार्वजनिक चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण के तहत चिह्नित 2,16,738 योजनाओं में से अबतक 1,45,475 योजनाओं में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 1,42,489 में कार्य पूर्ण तथा शेष 2,986 में कार्य प्रक्रियाधीन है।

अवयव 5: छोटी नदियों/जंगल-पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेकडैम आदि संरचनाओं का निर्माण

छोटी-छोटी नदियों एवं नालों में चैकडैम का निर्माण कर सिंचाई क्षमता का विकास किया जा सकता है। इस अवयव के अंतर्गत जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, पहाड़ों की तलहटी में गारलैंड ट्रेंच बनाकर वर्षा जल-संचयन की योजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा के अतिरिक्त जल को संचित करना है ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। संचित जल का उपयोग मत्स्य पालन एवं अन्य गतिविधियों में भी किया जाता है। यह भू-गर्भ जल के रिचार्ज का भी उपयोगी एवं सशक्त माध्यम है।

उल्लेखनीय है कि राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी वहाँ गये थे। उस समय वे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में केन्द्रीय मंत्री थे। जब यह काम हो रहा था उसी समय वहाँ पर जो अधिकारी आये हुए थे उनको बगल में अवस्थित पहाड़ को दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ पर जल संचयन हेतु तालाब बनाने का सुझाव दिया था। उनके सुझाव को मानते हुए वहाँ पर पहाड़ के नजदीक 4 जगह तालाब का निर्माण कराया गया। बहुत बढ़िया काम हुआ। अगर 2 साल तक वहाँ वर्षा नहीं होगी तो भी तालाब में जितना पानी है उस पानी से 2 साल तक आर्डिनेन्स फैक्ट्री में किसी तरह की दिक्कत नहीं आयेगी। यही वहाँ के एक्सपर्ट लोगों ने बताया। जब जल-जीवन- हरियाली अभियान शुरु हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को बताया और इस तरह का काम अन्य जगहों पर भी कराने का निर्देश दिया।

इस अवयव का क्रियान्वयन वन क्षेत्र में **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग** के द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र में **ग्रामीण विकास विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग** के द्वारा कराया जा रहा है।

- छोटी-छोटी नदियों/नालों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन संरचना के निर्माण के तहत चिह्नित 19,586 योजनाओं में से अबतक 11,350 योजनाओं में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 11,238 में कार्य पूर्ण तथा शेष 112 में कार्य प्रक्रियाधीन है। गया एवं राजगीर के पहाड़ो पर हरियाली का विकास इन कार्यों से हुआ है।

अवयव 6: नये जल स्त्रोतों का सृजन एवं गंगा जल उद्वह योजना

यदि अधिशेष नदी जल क्षेत्रों से जल को ऐसे क्षेत्र में ले जाने की व्यवस्था की जाए, जहां जल की कमी है, तो जल के अभाव वाले क्षेत्रों में पेयजल इत्यादि की व्यवस्था अच्छे ढंग से की जा सकती है। इस अवयव के अंतर्गत नए जल स्त्रोतों यथा-निजी तालाब, खेत-पोखर, चैर विकास तथा अन्य सार्वजनिक एवं निजी जल स्त्रोतों का विकास किया जा रहा है। इस अवयव का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, लघु जल संसाधन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है।

- पेयजल संकट वाले गया, बोधगया, राजगीर एवं नवादा शहरों में पेयजल हेतु गंगाजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गंगा जल उद्वह योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई। गर्मी के दिनों में इन जिलों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना की कुल लागत 4515.70 करोड़ है। राजगीर, गया एवं बोध गया शहरों में पेयजल आपूर्ति नवम्बर, 2023 से प्रारंभ है। नवादा शहर में भी 15 दिसम्बर 2023 को पेयजल आपूर्ति प्रारंभ कर दी गयी है। साथ ही इसके अनुरक्षण की भी व्यवस्था कराई जा रही है।
- नए जल स्त्रोतों का सृजन (निजी तालाब/मत्स्य तालाब/चौर विकास) के तहत अबतक 51,468 योजनाओं में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 50,451 में कार्य पूर्ण तथा शेष 1,017 में कार्य प्रक्रियाधीन है।

अवयव 7: सरकारी भवनों में छत-वर्षा जल संचयन (Roof Top Rain Water Harvesting) की संरचना का निर्माण

- यदि भवनों के छत पर वर्षा जल संचयन की संरचनाओं का निर्माण किया जाता है तो रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के द्वारा भूगर्भ जलस्तर में वृद्धि लाई जा सकती है तथा पानी को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। इस अवयव के अंतर्गत सरकारी भवनों को चिह्नित कर छत-वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन भवन निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

निजी भवनों में छत-वर्षा जल संचयन की संरचनाओं के निर्माण हेतु विनिमयन एवं जागरुकता:

- पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग तथा जिला प्रशासन के माध्यम से आम जन में जागरुकता का प्रसार कर निजी भवनों में छत-वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण हेतु अभिप्रेरित किया जा रहा है।
- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संशोधित नए भवन निर्माण संबंधी नियमों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है। बिहार के सभी औद्योगिक, सार्वजनिक व ग्रुप हाउसिंग के तहत निर्मित भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रुप से बनाना है। वैसे आवासीय भवन, जिनका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से अधिक होगा, उनके नक्शे में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया है।
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना के लिए कुल सरकारी भवनों की संख्या 1 लाख 2 हजार 619 है। अबतक 19 हजार 701 कार्य प्रारंभ किये गये हैं, जिनमें 19 हजार 501 योजनाओं में कार्य पूर्ण किया गया है। 190 कार्य प्रक्रियाधीन है।

अवयव 8: पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण

वृक्षारोपण एवं पौधशालाओं के सृजन से हरित क्षेत्र में व्यापक वृद्धि की जा सकती है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कारगर साबित हो सकता है। इस अवयव के तहत हरित आच्छादन को बढ़ाने, वातावरण को स्वच्छ तथा प्रदूषण को कम करने के लिए पूरे राज्य में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। पथों, नहरों एवं बाँधों के किनारे बहुस्तरीय पौधारोपण, पारम्परिक जल स्त्रोतों के जीर्णोद्धार के बाद उसके किनारे सघन वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु शहरी वानिकी, फलदार वृक्षों के साथ-साथ जैव विविधता बढ़ाने वाले पौधो को प्राथमिकता दी गयी है। पौधशालाओं के सृजन के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति **(जीविका)** द्वारा संपोषित **'दीदी की नर्सरी'** के अतिरिक्त उद्यान एवं अन्य पौधशालाओं तथा किसान पौधशालाओं में पौधों के सृजन का कार्य किया जा रहा है। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार का हरित क्षेत्र एक तिहाई से घटकर लगभग नौ प्रतिशत रह गया था। सरकार के प्रयास से वन आच्छादन क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है, अब यह बढ़कर लगभग 17 प्रतिशत हो गया है। इसका क्रियान्वयन **ग्रामीण विकास विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग** द्वारा कराया जा रहा है।

- सघन वृक्षारोपण अंतर्गत लक्षित 19.06 करोड़ पौधों के विरुद्ध अब तक कुल 15.44 करोड़ पौधे लगाये गये हैं।

अवयव 9: मौसम अनुकूल कृषि एवं फसल अवशेष प्रबंधन

मौसम अनुकूल फसल चक्र (Crop Cycle). वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई (Drip Irrigation), जैविक खेती एवं अन्य नई तकनीकों के उपयोग पर बल देने का निर्णय लिया गया है। मौसम में परिवर्तन को देखते हुए फसल चक्र में बदलाव आवश्यक हो गया है। इस संदर्भ में किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए **''जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम''** की शुरुआत की गयी है जिसे बोरलॉग संस्थान, पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, राजेन्द्र केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से शुरुआत में इसे आठ जिलों क्रमशः नवादा, गया, नालंदा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया एवं मधुबनी में कार्यान्वित किया गया। अभी इसका कार्यान्वयन विस्तारित कर सभी जिलों में किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में किसानों के लिए कम पानी वाली प्रजाति का चयन, नई क्रॉप साईकिल का विकास, नई फसल उत्पादन तकनीकों का उपयोग तथा किसानों को इससे संबंधित प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है।

फसल अवशेष (पराली जलाने से हो रहे नुकसान से बचने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन में सहायक कृषि यंत्रों पर 75% अनुदान, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 80% अनुदान दिया जा रहा है। कम्बाइन हार्वेस्टर के उपयोग में कमी लाने पर जोर दिया जा रहा है। फसल अवशेष